पूर्ण बेंच

बाल राज तुली, मार्ट मोहन सिंह गुजराल और डी एस तेवतिया, जे जे के समक्ष।

अशोक कुमार, याचिकाएं

बनाम

हरियाणा राज्य आदि- उत्तरदाता।

1966 की सिविल रिट संख्या 2535

10 सितंबर, 1974।

पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम (1953 का X) - पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा *नियम (1956) - नियम 6* (2), 6 (3) *और फॉर्म 'डी' - प्रथा के तहत एक विधवा द्वारा अपने पति को उत्तराधिकारी की नियुक्ति - चाहे वह विनिवेश करे या नहीं।*

नियुक्ति की तारीख से पति की संपत्ति का विवरण — *ऐसी नियुक्ति — क्या उस संपत्ति में से अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के लिए कार्यवाही में रुचि रखने वाला व्यक्ति बन जाता है — नियुक्त व्यक्ति का नाम न तो फॉर्म 'डी' में और न ही राजस्व रिकॉर्ड में - उसे नोटिस जारी किए बिना या कार्यवाही के बारे में जागरूक हुए बिना अधिशेष क्षेत्र घोषित करने का आदेश। क्या उनके कहने पर समीक्षा की जा सकती है।*

अभिनिर्धारित किया गया है कि रिवाज के तहत एक विधवा द्वारा अपने पति के उत्तराधिकारी के रूप में वैध रूप से नियुक्त व्यक्ति का शीर्षक नियुक्ति की तारीख से संबंधित है और इस तरह की नियुक्ति का प्रभाव विधवा के हाथों में संपत्ति को बेचना है। गोद लेने की तारीख से विधवा के पास कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं होता है और इसलिए स्वामित्व दत्तक पुत्र में निहित होता है। नतीजतन, ऐसा दत्तक पुत्र पंजाब भूमि सुरक्षा अधिनियम, 1953 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के लिए कार्यवाही में रुचि रखने वाला व्यक्ति बन जाता है। किसी भी क्षेत्र को अधिशेष घोषित करने से पहले पंजाब भूमि कार्यकाल नियम, 1956 के नियम 6 के उप-नियम (3) के तहत जांच करने के लिए, सर्कल राजस्व अधिकारी को नियमों के नियम 6 (2) के तहत केवल ऐसे व्यक्तियों को नोटिस जारी करना होगा, जिनके नाम फॉर्म डी में उल्लिखित हैं या जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड से पता लगाए जा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वह यह पता लगाने के लिए कोई जांच करे कि कौन लोग रुचि रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि बाद में कोई इच्छुक व्यक्ति सामने आता है, तो उसे सुनवाई नहीं दी जानी चाहिए। अधिशेष क्षेत्र घोषित करने वाले आदेश की समीक्षा की जा सकती है यदि यह किसी इच्छुक व्यक्ति की पीठ के पीछे पारित किया गया है और उसे अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के लिए कार्यवाही के बारे में पता नहीं है। यदि अधिनियम के तहत कलेक्टर या अधिकारियों को लगता है कि इच्छुक व्यक्ति को हमेशा से कार्यवाही के बारे में पता है और कार्यवाही का विरोध करने के लिए आगे आने में देरी का दोषी रहा है, तो वह गुण-दोष के आधार पर सुनवाई का हकदार नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि अधिनियम के तहत कार्यवाही से अवगत होने के बाद कलेक्टर से संपर्क करने में जानबूझकर देरी या अस्पष्ट देरी का सवाल शामिल नहीं है, तो एक व्यक्ति जिसके हितों को अधिशेष क्षेत्र की ऐसी घोषणा से प्रभावित होने की संभावना है, उसे सुनवाई का अधिकार है और इस तथ्य के बावजूद कि उसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, इस उद्देश्य के लिए कलेक्टर से संपर्क करके गुण-दोष के आधार पर निर्णय का दावा

करने का हकदार है। फॉर्म 'डी' में और न ही राजस्व रिकॉर्ड में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में।

माननीय न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह गुजराल द्वारा 1 अगस्त 1974 *को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक खंडपीठ को मामला भेजा गया। माननीय न्यायमूर्ति बी. आर. तुली और माननीय न्यायमूर्ति श्री मन मोहन सिंह गुजराल की खंडपीठ ने मामले को पूर्ण पीठ को भेज दिया। माननीय न्यायमूर्ति बीआर तुली, माननीय न्यायमूर्ति मन मोहन सिंह गुजराल और माननीय न्यायमूर्ति डीएस तेवतिया की पूर्ण पीठ ने अंततः 10 सितंबर, 1974 को मामले का फैसला किया।*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका *में अनुरोध किया गया है कि वर्ष 1959 के बाद से संपूर्ण अधिशेष कार्यवाही को रद्द करते हुए* सर्टिओरारी, मंडामस, *निषेध या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की*प्रकृति में एक रिट *जारी की जाए और होल्डिंग्स के समेकन के बाद की गई कार्यवाही और 22 अगस्त के आक्षेपित आदेशों को भी रद्द किया जाए। (क) और* 31 *अक्तूबर,* 1966 *(अनुलग्नक* ख) *और आगे प्रार्थना करते हुए कि रिट याचिका का अंतिम निपटान लंबित रहने तक याचिकाकर्ता के कब्जे पर रोक लगाई जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर *से अधिवक्ता एसपी जैन।*

उत्तरदाताओं के लिए हरियाणा के सहायक महाधिवक्ता एचएन मेहतानी *।*

निर्णय

गुजराल, जे. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत यह रिट याचिका कलेक्टर, गुड़गांव के 31 अक्टूबर, 1966 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उन्होंने 4 दिसंबर 1959 के कलेक्टर के पिछले आदेश की समीक्षा के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

(2) इस याचिका के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य गंभीरता से विवाद में नहीं हैं और इस प्रकार कहा जा सकता है। भांडोर गांव में स्थित 174 *बीघा*1 *बिस्वा* भूमि मूल रूप से चौधरी मनोहर लाल के स्वामित्व में थी और उनकी मृत्यु के बाद इसे उनकी पत्नी मकतुल कौर प्रतिवादी नंबर 4 के नाम पर बदल दिया गया था। मनोहर लाल की इच्छाओं का पालन करते हुए, उनकी विधवा मकतुल कौर ने 27 जुलाई 1952 को एक पंजीकृत दत्तक विलेख के माध्यम से याचिकाकर्ता को अपने मृत पति के बेटे के रूप में अपनाया। यह महसूस न करते हुए कि इस गोद लेने से याचिकाकर्ता अपने दत्तक पिता की पूरी जमीन का मालिक बन गया था, मकतुल कौर ने भांडोर गांव में स्थित भूमि में से याचिकाकर्ता को 33 बीघा जमीन उपहार में दे दी। गोद लेने और इस उपहार के समय याचिकाकर्ता नाबालिग था। अगले तीन या चार वर्षों के दौरान मकतुल कौर ने किसी तरह याचिकाकर्ता अशोक कुमार के प्रति शत्रुता का तनाव विकसित किया; और विद्वेष की इन भावनाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए मकतुल कौर ने 1957 और 1958 में लगभग 41 *बीघा*जमीन पोलू राम आदि को बेच दी और शेष भूमि 20 मई, 1958 को अपनी बेटियों को उपहार में दे दी। अलगाव के बारे में पता चलने पर, अशोक कुमार ने

उन्हें एक दीवानी मुकदमे के माध्यम से चुनौती दी, जिसे अंततः अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, रेवाड़ी द्वारा डिक्री की गई थी, और इस डिक्री को 23 अक्टूबर, 1963 को तय किए गए 1961 के नियमित द्वितीय अपील संख्या 161 में उच्च न्यायालय तक बनाए रखा गया था। मनोहर लाल द्वारा छोड़ी गई भूमि के कब्जे के लिए डिक्री होने के नाते, अशोक कुमार ने 15 अप्रैल, 1964 को इस डिक्री के निष्पादन में कब्जा प्राप्त किया।

(3) पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम (जिसे बाद में अधिनियम कहा जाता है) के लागू होने के बाद मनोहर लाल द्वारा छोड़ी गई भूमि में से अधिशेष क्षेत्र घोषित करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई और, इस प्रकार-

राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि संबंधित समय में मकतुल कौर के एन ई में थी, उसे केवल नोटिस जारी किया गया था और केवल फॉर्म डी में उसे भूमि के कब्जे के रूप में दिखाया गया था। संभवतः, गोद लेने के कारण, उसके पास भूमि में कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं बचा था, मकतुल कौर ने इन कार्यवाहियों में गंभीर प्रतिरोध नहीं किया और न केवल कलेक्टर द्वारा एक प्रतिकूल आदेश पारित करने की अनुमति दी, बल्कि अपील में इस आदेश को चुनौती भी नहीं दी और इस तरह इसे अंतिम रूप देने की अनुमति दी। कलेक्टर का यह आदेश 4 दिसंबर, 1959 को पारित किया गया था। इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि जिस समय कार्यवाही की गई थी, याचिकाकर्ता * अभी भी नाबालिग था।

(2) अधिनियम के तहत कार्यवाही की समाप्ति के बाद, अशोक कुमार ने अपने द्वारा प्राप्त डिक्री के निष्पादन में भूमि का कब्जा प्राप्त किया और बाद में उसे अपने दत्तक पिता मनोहर लाल से विरासत में मिली भूमि के बदले में चकबंदी कार्यवाही के दौरान अन्य भूमि आवंटित की गई। 27 जुलाई, 1966 को, याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 24-ए (2) के तहत एक नोटिस मिला, जिसमें उसे समेकन कार्यवाही में आवंटित भूमि में से अपने आरक्षित क्षेत्र का चयन करने के लिए कहा गया था और तब याचिकाकर्ता को पहली बार पता चला कि उसकी विरासत में मिली भूमि में से कुछ क्षेत्र को पहले अधिशेष घोषित किया गया था। इस दृढ़ विश्वास में कि उसके हाथों में कोई अधिशेष क्षेत्र नहीं था, याचिकाकर्ता ने तुरंत सर्कल राजस्व अधिकारी के समक्ष आपत्तियां दर्ज कीं और नोटिस का विरोध किया। 22 अगस्त, 1966 के आदेश द्वारा, सर्कल राजस्व अधिकारी ने कहा कि उनके पास मकतुल कौर की भूमि को अधिशेष घोषित करने वाले कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की वैधता के बारे में किसी भी आपत्ति को सुनने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और आवेदक को इस मामले के बारे में कोई शिकायत होने पर कलेक्टर से संपर्क करने का निर्देश दिया। राहत प्राप्त करने में विफल रहने के बाद, याचिकाकर्ता ने एक समीक्षा याचिका दायर की और इस याचिका पर, कलेक्टर ने

आक्षेपित आदेश पारित किया।

(3) याचिका को प्रतिवादी 1 से 3 की ओर से चुनौती दी गई थी और हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग के अवर सचिव श्री अध्यापक सिंह ने प्रतिवादियों द्वारा ली गई स्थिति के समर्थन में एक हलफनामा दायर किया। प्रतिवादियों द्वारा अपनाया गया रुख यह है कि जैसा कि राजस्व रिकॉर्ड में मकतुल कौर को 15 अप्रैल, 1953 को भूमि के मालिक के रूप में दर्ज किया गया था और फॉर्म डी में 146 *बीघा* 16 *बिस्वा* की भूमि के कब्जे में भी दिखाया गया था, कलेक्टर द्वारा 1957 और 1958 में किए गए अलगाव की अनदेखी करके अधिशेष क्षेत्र का सही आकलन किया गया था। यह भी था

उन्होंने कहा कि जिस समय अधिशेष क्षेत्र घोषित किया गया था, याचिकाकर्ता को उन कार्यवाही में उपस्थित होने का कोई अधिकार नहीं था, और संबंधित नियमों के तहत उसे कोई नोटिस जारी करने का हकदार नहीं था। आगे यह कहा गया कि चूंकि अधिशेष क्षेत्र घोषित करने का आदेश उस पक्ष को सुनने के बाद पारित किया गया था जो नोटिस का हकदार था, इसलिए याचिकाकर्ता के कहने पर बाद में समीक्षा करने के लिए खुला नहीं था और इस तर्क के समर्थन में *हरदेव सिंह और अन्य की टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था* । *पंजाब राज्य और अन्य* (1)। चूंकि *हरदेव सिंह के* मामले में प्रासंगिक टिप्पणियों को वर्तमान मामले के तथ्यों के प्रकाश में स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, इसलिए याचिका को एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया था और इस तरह से रिट याचिका निर्णय के लिए हमारे सामने आई है।

(4) याचिकाकर्ता की ओर से मुख्य और वास्तव में एकमात्र तर्क यह दिया गया है कि 1952 में गोद लेने के बाद वह अपने दत्तक पिता चौधरी मनोहर लाल द्वारा छोड़ी गई भूमि का कानूनी मालिक बन गया था और मकतुल कौर को भूमि में सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज से वंचित कर दिया गया था, इसलिए वह "रुचि रखने वाला व्यक्ति" था: पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा नियम, 1956 (जिसे बाद में 1956 नियम कहा जाता है) के नियम 6 के अर्थ के भीतर और यह कि सबसे पहले उसे एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए था और दूसरी बात, यदि, उसके अधिकारों के बारे में संबंधित अधिकारियों की ओर से जानकारी की कमी के कारण उसे मूल रूप से नोटिस जारी नहीं किया गया था, जब उन्होंने पहले के आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन किया था तो उनका पक्ष सुना जाना चाहिए था। तर्क जारी रखते हुए यह आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ता गोद लेने के समय नाबालिग था और अधिशेष क्षेत्र घोषित करने का आदेश पारित किया गया था और अधिनियम के तहत कार्यवाही से अवगत नहीं था और अधिनियम की धारा 24-ए (2) के तहत उसे नोटिस जारी होने तक अंतिम आदेश पारित किया गया था, आरक्षित क्षेत्र के चयन के लिए नोटिस प्राप्त होने पर वह अधिनियम के तहत अधिकारियों से जल्द से जल्द संपर्क कर सकता था। इस स्थिति में, याचिकाकर्ता के अनुसार, यह संभवतः नहीं माना जा सकता है कि पुनर्विचार याचिका को समय पर रोक दिया गया था।

(1) 1971 पी.एल.जे. 283

(5) यह विवादित नहीं है कि 1956 के नियमों के नियम 6 के उप-नियम (3) के तहत सर्कल राजस्व अधिकारी को किसी भी क्षेत्र को अधिशेष घोषित करने से पहले एक जांच करनी होती है और यह जांच "संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद" की जानी चाहिए। संबंधित व्यक्ति कौन हैं, आर. एस. नरूला, जे. ने, जैसा कि उस समय लॉर्डशिप थे, *हरदेव सिंह के* मामले (सुप्रा) में निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं: -

> “अतः यह स्पष्ट है कि नियम 6 (2) के अधीन नोटिस केवल सर्कल राजस्व अधिकारी के समक्ष कार्यवाही में ऐसे व्यक्तियों को जारी किया जाना है जिनके नाम पटवारियों द्वारा तैयार किए गए प्रपत्र 'घ' में उल्लिखित किए जा सकते हैं या जिनके नाम सर्कल राजस्व अधिकारी को उपलब्ध सुसंगत राजस्व अभिलेखों में विक्रेताओं या दाताओं या अन्य हस्तांतरणकर्ताओं या भूमि के किरायेदारों के रूप में दिखाए जा सकते हैं, जिसे मूल भूमि मालिक के अधिशेष क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव है।”

उपरोक्त मामले में आगे निर्णय दिया गया कि अधिनियम या 1956 के नियमों में सर्कल राजस्व अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की परिकल्पना नहीं की गई है कि उसके समक्ष कार्यवाही में रुचि रखने वाले संभावित व्यक्ति कौन होंगे और यह नियमों का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि उन व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाता है जिनके नाम फॉर्म डी में उल्लिखित हैं या जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड से उपलब्ध हो सकते हैं।

(6) हरदेव सिंह के मामले में *उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर राज्य* की ओर से पेश हुए श्री एच. एन. मेहतानी ने तर्क दिया कि फॉर्म डी में उल्लिखित व्यक्तियों या 1 को अधिशेष क्षेत्र नोटिस की घोषणा के लिए कार्यवाही में उन व्यक्तियों को जारी किया गया है जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड से पता लगाए जा सकते हैं। 1959 पूरी तरह से अपवाद था और कलेक्टर याचिकाकर्ता के कहने पर बाद में आदेश की समीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि जिस समय 4 दिसंबर, 1959 को आदेश पारित किया गया था, याचिकाकर्ता 1956 के नियमों के नियम 6 के उपनियम (3) के अर्थ में रुचि रखने वाला व्यक्ति नहीं था और उसे कोई अधिकार नहीं था, संपत्ति में शीर्षक या रुचि। तर्क जारी रखते हुए यह आग्रह किया जाता है कि 4 दिसंबर, 1959 के आदेश पारित होने पर इच्छुक व्यक्तियों को पहले ही सुना जा चुका है, कलेक्टर याचिकाकर्ता को सुनने और आदेश की समीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं थे।

(9) प्रथा के तहत वैध रूप से उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति का खिताब नियुक्ति की तारीख से संबंधित है और ऐसी नियुक्ति का प्रभाव संपत्ति को विधवा के हाथों में सौंपना है। दूसरे शब्दों में, गोद लेने की तारीख से विधवा का कोई अधिकार, उपाधि या ब्याज समाप्त हो जाता है और वहां से आगे का स्वामित्व गोद लिए गए बेटे में निहित होता है। यह कानून की स्थिति है, हालांकि याचिकाकर्ता ने अक्टूबर, 1963 में अपने पक्ष में एक डिक्री प्राप्त की थी और 15 अप्रैल, 1964 को कब्जा प्राप्त किया था, गोद लेने की तारीख से संबंधित संपत्ति पर उसका अधिकार और परिणामस्वरूप वह अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के लिए कार्यवाही में रुचि रखने वाला व्यक्ति था। प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा इसके विपरीत दिया गया तर्क फलस्वरूप मान्य नहीं है।

(10) तर्क का दूसरा पहलू समान रूप से योग्यता के बिना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि *हरदेव सिंह के* मामले में यह फैसला सुनाया गया था कि सर्कल राजस्व अधिकारी के लिए यह पता लगाने के लिए जांच करना आवश्यक नहीं था कि कौन लोग रुचि रखते थे, लेकिन इन टिप्पणियों से यह पता नहीं चलता है कि यदि बाद में कोई इच्छुक व्यक्ति सामने आया, तो उसे सुनवाई नहीं दी जानी थी और आदेश की समीक्षा नहीं की जा सकती थी यदि यह उसकी पीठ के पीछे और उसके बिना पारित किया गया था। कार्यवाही से अवगत होना। *हरदेव सिंह के* मामले में केवल इस बात पर जोर दिया गया है कि फॉर्म डी में उल्लिखित व्यक्तियों या उन लोगों को नोटिस जारी किए जाने चाहिए जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड से पता लगाए जा सकते हैं। *हरदेव सिंह* के मामले में की गई टिप्पणियों का यह निहितार्थ नहीं है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति का नाम फॉर्म डी या राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, उसे सुनवाई से वंचित कर दिया जाना चाहिए, भले ही वह अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के लिए कार्यवाही का विरोध करने के लिए आगे आए और वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हित कार्यवाही में प्रतिकूल निर्णय से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होंगे। अत, मेरा मत है कि श्री मेहतानी के विपरीत तर्क *हरदेव सिंह* के मामले में निर्णय के अनुपात की गलत धारणा पर आधारित है और इसमें कोई दम नहीं है। हालांकि, यह मानने का इरादा नहीं है कि यदि कलेक्टर या अधिनियम के तहत अधिकारियों ने यह विचार बनाया कि इच्छुक व्यक्ति को कार्यवाही के बारे में पता था और वह कार्यवाही का विरोध करने के लिए आगे आने में देरी का दोषी था, तो वह गुण-दोष के आधार पर सुनवाई का हकदार होगा। दूसरी ओर, यदि अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों से अवगत होने के पश्चात् कलेक्टर से संपर्क करने में जानबूझकर विलंब या अस्पष्टीकृत विलम्ब का प्रश्न शामिल नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके अधिशेष क्षेत्र की ऐसी घोषणा से हितों के प्रभावित होने की संभावना है, सुनवाई का अधिकार है और वह इस प्रयोजन के लिए कलेक्टर से संपर्क करके गुण-दोष पर निर्णय का दावा करने का हकदार है, इस तथ्य के बावजूद कि उसका नाम न तो प्रपत्र डी में और न ही राजस्व अभिलेखों में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में उल्लिखित है।

(11) पूर्वगामी कारणों से, इस याचिका की अनुमति दी जाती है और 31 अक्टूबर 1966 के कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। कलेक्टर को याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद अधिशेष क्षेत्र के मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

तुली, जे- मैं सहमत हूं।

तेवतिया, जे- मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वियन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अवीषेक गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा

Ashok Kumar *v.* The State of Haryana etc. (Gujral, J.)